जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
43/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 43/2016 अनवानी श्री दिनेशकुमार गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल 32 इंदिरा कॉलोनी, गुरूद्वारा रोड वार्ड 5 सादुलशहर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर

17—01—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री हरिकृष्ण काटीवाल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2016 के द्वारा 2 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर से चाही थी उनके द्वारा केवल बिन्दु सं0 2 की सूचना ही उपलब्ध करवाई गई है अतः बिन्दु सं0 1 की सूचना उसे निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

1. निर्वाचक नामावली 2015, नगरपालिका सादुलशहर, वार्ड सं0 5, भाग संख्या1, अंतिम प्रकाशन की तिथि 20.07.2015 पृष्ठ संख्या 36, लैडमार्क रमेशचन्द्र के मकान, सादुलशहर के निम्नलिखित क्रम संख्या के मतदाताओ के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करवाने हेतु/करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों व सलंग्नो की प्रमाणित प्रति देवे तथा ये आवेदन आपके कार्यालय को किस दिनांक को व किस प्रारूप में प्राप्त हुए प्रमाणित प्रतियां देवें।

क्र0सं0	नाम	पति/पिता का नाम	मकान	लिंग	उम्र
792	सरोज	सुरेशकुमार	213	महिला	58
796	पवनकुमार	सुरेशकुमार	213	पुरूष	32
797	आशीषकुमार	सुरेशकुमार	213	पुरूष	30

2. बिन्दु संख्या एक में वर्णित मतदाताओ के मत किस आधार(यथा/स्थानान्तरण/नया मत) पर निर्वाचक नामावली 2015 नगरपालिका सादुलशहर, वार्ड संख्या 5 भाग संख्या 1, अंतिम प्रकाशन की तिथि 20.07.15 पृष्ठ संख्या 36, लैडमार्क रमेश चन्द्र के मकान, सादुलशहर में शामिल किया गया है प्रमाणित प्रति देवे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर ने अपना प्रतिवेदन सं0 291 दिनांक 04.04.2016 निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया हैः—

श्रीमानजी कार्यालय को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र फोर्मेट—ई जो कि दोनो प्रगणको द्वारा हस्ताक्षरशुदा था, प्राप्त हुआ जिसमें उक्त मत वार्ड संख्या 10 की क्रम संख्या 412, 413 तथा 417 से 418 वार्ड संख्या 5 में स्थानान्तरित होने थे इसी प्रपत्र के आधार पर उक्त मत वार्ड संख्या 5 की क्रम संख्या 792, 796, 797 पर स्थानान्तरित हुए थे। अन्य कोई आवेदन इन मतदाताओ का प्राप्त नही हुआ था। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गये बिन्दुओ पर सूचना के तौर पर कार्यालय में

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

43/2016

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार केवल फोर्मेट ई की प्रमाणित प्रति ही दी जा सकती थी जो कि कार्यालय के पत्रांक क्रमांक निर्वा/2016/129 दिनांक 03.02.2016 द्वारा सलंग्न कर जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी द्वारा दिये गये पते पर भिजवा दी गई थी जिसकी छाया प्रतियां सलंग्न है। खोजे गये तथ्यो के आधार पर सूचना बनाकर दिया जाना अथवा प्रश्न पूछा जाना सूचना के अधिकार के तहत दिया जाने का प्रावधान नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।

उपरोक्त विवरण से अपीलार्थी द्वारा दो बिन्दुओ की सूचना चाही थी जिसमें बिन्दु सं 2 की सूचना अपीलार्थी ने प्राप्त होना स्वीकार किया है और बिन्दु संख्या 1 की सूचना प्राप्त नही होना जाहिर किया है जिसमें उसने वार्ड सं0 5 नगरपालिका सादुलशहर के क्रम संख्या 792, 796, 797 के संबंधित मतदाताओ के प्रा0 पत्र की प्रतियां चाही थी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र फोरमेट ई जो कि दोनो प्रगणको द्वारा हस्ताक्षरशुदा था जिसमें उक्त मत वार्ड संख्या 10 की क्रम संख्या 412, 413 तथा 417 से 418 वार्ड संख्या 5 में स्थानान्तरण होने थे इसी प्रपत्र के आधार पर उक्त मत वार्ड सं0 5 की क्रमं संख्या 792, 796, 797 पर स्थानान्तरित हुए थे अन्य कोई आवेदन पत्र मतदाताओ का प्राप्त नही हुआ था। जब उक्त मतदाताओ के प्रा0 पत्र प्राप्त नही हुए थे केवल उपलब्ध रिकार्ड फोर्मेट ई की प्रतिलिपि दी जा सकती थी जो डाक से भिजवा दी गई थी। अपीलार्थी ने प्रार्थना की कि उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर के पत्र दिनांक 04.04.16 की प्रति उपलब्ध करवा दी जावे।

चूंकि सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत जिस रूप में सूचना कार्यालय में उपलब्ध है उसी रूप में ही सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसलिये अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने उक्त प्रतिवेदन संख्या 291 दिनांक 04.04.2016 की प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवावें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर